

भूखण्ड/भवन सं.....ब्लाक सं०.....योजना सं.

.....केवल) का भुगतान विक्रेता को कर दिया गया है जिसकी प्राप्ति विक्रेता एतद्वारा स्वीकार करता है।

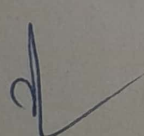
अतः विक्रेता ने क्रेता को इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड/भवन संख्या.....जे-1/13.....ब्लाक संख्या.....डब्लू-1.....

.....योजना संख्या.....2, जूही कला.....

.....स्थित मोहल्ला कुल क्षेत्र.....111.512 वर्गमी०

.....पर आगे अभिव्यक्ति अधिकारों/शर्तों के अधीन आवासीय/ग्रुप हाउसिंग/वाणिज्यिक औद्योगिक प्रयोजन हेतु निजी स्वामित्व देना (फ्रीहोल्ड करना) स्वीकार कर लिया है। प्राधिकरण की महायोजना/आसपास की भूमि के उपयोग के आकार पर वर्तमान में इस भूखण्ड/भवन का आवासीय/ग्रुप हाउसिंग/वाणिज्यिक औद्योगिक उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाता है, अतः विक्रेता द्वारा क्रेता से यह अपेक्षा की जाती है कि क्रेता अनुसूची में वर्णित भूमि/भवन का उपयोग महायोजना में निर्दिष्ट/आसपास की भूमि के भू-उपयोग के अनुसार ही करेगा।

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा- संशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-१९७३ के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि यदि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड/भवन फ्रीहोल्ड (निजी स्वामित्व) घोषित करने हेतु क्रेता द्वारा



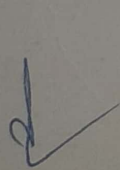
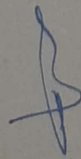

उमिता देवी मिश्रा

भूखण्ड/भवन सं. जे-2/13 डब्लू-1 2, जुही कला

क्रेता के पक्ष में विक्रेता को फ्रीहोल्ड शुल्क सहित भूखण्ड/भवन के सम्पूर्ण मूल्य के किये गये भुगतान के प्रतिफल-स्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसविदाओं और शर्तों जिनका क्रेता पालन करेगा, को ध्यान में रखकर विक्रेता एतद्वारा वह सब भवन/भूखण्ड उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया है, और जो स्पष्टीकरण के लिये इस विलेख में संलग्न साइट प्लान में प्रदर्शित किया गया है और फ्रीहोल्ड घोषित करते हैं और उस पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करते हैं और क्रेता उसके दयाधिकारी तथा समनुदेशिनी सदा के लिये उसे अपने अधिकार में रखेंगे।

इस विलेख के निष्पादन के दिनांक से इसकी अनुसूची में वर्णित भूखण्ड/भवन पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्राप्त हो जायेगा और वह उसे स्वेच्छा से प्रभावी विधि नियमों एवं विनियमों के अधीन प्रयोग या हस्तांतरित कर सकेगा भूखण्ड/भवन या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले भवन के सम्बन्ध में क्रेता इस समय देय करों का अथवा उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान करेगा। यदि आवंटित भूमि के पूर्व भू-स्वामी को मुआवजा/सोलैसियम या ब्याज आदि का भुगतान करना पड़ता है तो उक्त धनराशि आवंटी को अदा करनी होगी।

इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या इसके विषय पर यदि कोई भी विवाद, मतभेद प्रश्न दोनों पक्षों या उसके दावेदार के बीच कभी उठ खड़ा तो वह निर्णय हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को भेजा जायेगा और निर्णय उसका अंतिम होता तथा इस विलेख के दोनों पक्ष उससे बाध्य होंगे।

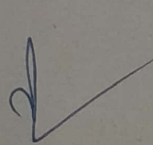
उमिली देवी मिश्रा

भूखण्ड/भवन सं.....ब्लाक सं०.....योजना सं.

यदि किसी समय/अवसर पर यह पाया जाता है कि क्रेता ने किसी तथ्य छिपाकर अथवा मिथ्या तथ्यों के आधार पर अथवा त्रुटिपूर्ण प्रस्तुतिकरण अथवा धोखाधड़ी के आधार पर यह विलेख निष्पादित किया है तो यह विलेख प्राधिकरण के विकल्प पर निष्प्रभावी/शून्य हो जायेगा ऐसी स्थिति में प्राधिकरण को यह विलेख निरस्त करने का तथा क्रेता द्वारा भूमि/भवन क्रय किये जाने हेतु प्राधिकरण को किये गये भुगतान की धनराशि जब्त करने का अधिकार होगा इस सम्बन्ध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा एवं क्रेता पर बाध्य होगा तथा किसी भी विधिक अथवा अन्य कार्यवाही में इस प्रकरण का विवाद नहीं उठाया जायेगा।

इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन सम्बन्ध में जो कुछ भी व्यय होगा, क्रेता वहन करेगा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द 'विक्रेता' के 'क्रेता' के सम्बन्ध में जब तक उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, विक्रेता में उसके उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों का तथा 'क्रेता' में उसके दावाधिकारियों, निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अंतर्भाव है।

यदि आवंटित भूमि विधिवत अर्जित जी गयी और अर्जित भूमि का मुआवजा भी दिया जा चुका है, फिर भी यदि पूर्व भू-स्वामी द्वारा विधि अर्जित भूमि से सम्बन्ध कोई सन्दर्भ/अपील/समादेश याचिका/विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की गयी और किसी भी न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के परिणाम स्वरूप मुआवजा राशि (प्रतिकर), तोषण (सोलोसियम) एवं इस मद में ब्याज आदि की कोई वृद्धि का आदेश किया गया तो उसके भुगतान का दायित्व स्वतः क्रेता का होगा तथा इसके भुगतान हेतु क्रेता सहमत है एवं प्रसंविद करता है कि उपर्युक्त वृद्धि की गयी राशि का भुगतान धारित भूमि के क्षेत्रफल भू-विन्यास (ले-आउट प्लान) के अनुपातिक आधार पर करने को बाध्य है। उपर्युक्त परिस्थितियों में विक्रेता द्वारा एतदर्थ मांग पत्र में निर्दिष्ट धनराशि का भुगतान मांगपत्र की प्राप्ति के तीन माह की अवधि में कर देगा। यदि उक्त धनराशि क्रेता द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं की जाती तो विक्रेता को अधिकार होगा कि वह याचित धनराशि भू-राजस्व के रूप में वसूल कर लें।




उमिला देबी मिश्रा

भूखण्ड/भवन सं. जे-2/13 ब्लाक सं. 11 योजना सं. 2, जूही क

इस विलेख के साक्ष्य में क्रेता ने विक्रेता की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने उन तिथियों को हस्ताक्षर कर दिये हैं जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी हैं।

इसमें अभिदिष्ट अनुसूची निम्नांकित है।

भूखण्ड/भवन संख्या जे-2/13 ब्लाक संख्या डब्लू-1
..... योजना संख्या 2, जूही कला
..... स्थित मोहल्ला जूही
क्षेत्रफल 111.512 ब0मी0 जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है।

पूरव : 9.15 मी0 लड़क

पश्चिम : 30 सं0 12 ॥ बारह ॥

उत्तर : 30 सं0 14 ॥ चौदह ॥

दक्षिण : 12.20 मी0 लड़क

उर्मिला देवी मिश्रा

क्रेता के हस्ताक्षर

कानपुर विकास प्राधिकरण

की ओर से तथा उसके द्वारा प्राधिकृत

नाम : श्रीमती उर्मिला देवी मिश्रा

पता : 104-ए/166-ए, रामबाग, कानपुर

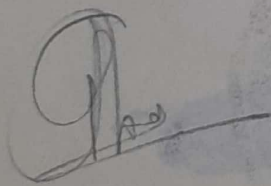
साक्षी (9)

साक्षी (2)

साक्षी (9)

साक्षी (2)

13-03-07
नाम दिनांक को फोटोस्टेट प्राप्त
पुस्तक संख्या 7630 के पृष्ठ संख्या
19-52 पर क्रम संख्या 2117 पर
रजिस्ट्रीकृत किया गया



रप नियन्त्रक-III
कानपुर जल

Seen
Bhunia